educated at Trivandrum and Tiruchirapalli, obtaining his Law Degree from Law College, Trivandrum. Shri Thanulingam was an agriculturist by vocation but also actively participated in the political activities of the day. He was interested in the spread of literacy among the masses and started elementary schools in the backward area of Kanyakumari District. He was a veteran parliamentarian having been member of the erstwhile Travancore-Cochin Legislative Assembly from 1948 to 1950 and again from 1953 to 1956, then of the Lok Sabha from 1957 to 1962 and of this House from July, 1964 to April, 1968.

We deeply mourn the passing away of Shri Anant Prasad Sharma and Shri P. Thanulingam.

I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.

(Hon. Members then stood in silence for one minute)

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy. Question No. 1.

---

## ORAL ANSWER TO QUESTIONS

### Court of Banaras Hindu University

*1. SHRIMATI RATAN KUMARI:† DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) when the Court of Banaras Hindu University was constituted last;

(b) what is the number of meetings held by that Court since then;

(c) whether it is a fact that no meeting of the Baranas Hindu University Court has been held; if so, what are the reasons therefor; and

(d) by when the Court of Banaras Hindu University propose to hold its meetings?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) According to the provisions of Statute 10 of the Statutes of Banaras Hindu University the Court consists of members drawn from different categories. The Court was last constituted during 1987.

(b) None.

(c) Yes, Sir. The Court of B.H.U. is an Advisory Body. Since no specific issues have been referred to the Court for its advice in terms of Section 9 of the B.H.U. Act no meeting of the Court has been held.

(d) According to information furnished by the University the next meeting of the Court is likely to be held in January, 1989.

**श्रीमती रत्न कुमारी** : सभापति महोदय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय भारत के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित शिक्षा केन्द्रों में से है । ऐसे विश्वविद्यालय के लिए किसी भी काम में विलंब होना अवांछनीय है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को कोई ऐसे निर्देश देने का विचार कर रही है कि कोर्ट की बैठकें एक निर्धारित समय के भीतर करना आवश्यक करार दे दिया जाये, जिसमे इसका कार्य सुचारू रूप से चल सके और उन महत्वपूर्ण मामलों में, जिसमें कोई भी अनुमति या सहमति आवश्यक हो, उसमें विलंब न हो सके ?

**श्री एल० पी० साही** : महोदय, अभी जैसा मैंने अपने उत्तर के "घ" पैरा में बताया कि कोर्ट की बैठक

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Ratan Kumari.

जनवरी, 1989 में बुलाई जा चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे-जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का काम स्थिर हो रहा है, कोर्ट की बैठकें भविष्य में समय पर बुलाई जाएगी ।

**श्रीमती रत्न कुमारी :** सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या यह सही है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक शैक्षणिक स्टाफ कॉलिज की स्थापना की तथा एक महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की क्या प्रगति हुई हैं?

**श्री एल.पी. साही :** महोदय, इसके लिये तो सेपरेट नोटिस चाहिए । यह इस सवाल से भिन्न है, इससे संबद्ध नहीं हैं ।

**डा. रत्नाकर पाण्डेय :** माननीय सभापति जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वसंत पंचमी, सन 1916 ईसवी को की गई और इसके संस्थापक भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ पूर्वधा पंडित मदन मोहन मालवीय थे और मधुर मनोहर अतीव सुन्दर यह सर्व-विद्या की राजधानी -बसी है गंगा के रम्य तट पर । यह कुल-दीप हमने छात्र के रूप में वहां पाया था और इस सदन का सदस्य होने के नाते सभापति जी ने सन 1986 में और 1987 में मुझे कोर्ट का सदस्य मनोनीत किया था । वर्ष 1986 में कोई मीटिंग नहीं हुई । सभापति जी, कभी इस विश्वविद्यालय का बजट उड़ीसा सरकार के बराबर होता था और पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने लिखा है कि विश्व के तीन महान विश्वविद्यालय हैं, जिनमें हेरो, कैम्ब्रिज और बी.एच.यू. इन तीन का उल्लेख उन्होंने किया है । इतने बड़े विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी बोडी कोर्ट की एडवायजरी बोडी है, इसलिए मीटिंग न की जाये.... **(व्यवधान)**

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: What is Harrow compared to Cambridge? Please explain to him.

**डा. रत्नाकर पाण्डेय :** इतनी बड़ी कोर्ट एडवायजरी बोडी है, इसलिए उसकी मीटिंग न की जाये और सारी चीजें स्वीकृत करा ली जायें सर्वोच्च संस्थान की स्वीकृति के बिना यह बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में, मैं जानना चाहूंगा कि जब से कोर्ट बनी हुई है उसकी बैठक कब से नहीं हुई है ? जनवरी 1989 की मीटिंग के लिए तो सरकार आश्वासन देने को तैयार है, लेकिन और जितने केन्द्रीय विश्व-विद्यालय हैं उनकी कोर्ट की मीटिंग्ज़ रेगुलर होंगी ?

**श्री एल.पी. साही :** महोदय, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि पाण्डेय जी की तरह उस विश्वविद्यालय में पढ़ूं, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का बजट अभी भी इस देश के सभी विश्वविद्यालयों से ज्यादा है । उसे यू.जी.सी. से साल में करीब 30 करोड़ रुपए मिलते हैं । इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर विभिन्न संस्थाओं से अलग से 14–15 करोड़ रुपये मिल जाते हैं जोकि किसी विश्वविद्यालय को नहीं मिलते हैं । हिन्दू विश्वविद्यालय में 113 विभाग हैं जो यहां इस देश के किसी विश्वविद्यालय में नहीं है । अतः जहां तक उसके बड़े होने की बात है और विभिन्न विषयों के पढ़ाने की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं । अब जहां तक कोर्ट का सवाल है, सबसे पहले मुदलियार कमेटी 1957–58 में बनी । उसके बाद गजेन्द्र गडकर कमेटी बनी और इन दोनों कमेटीज की यह राय थी कि कोर्ट को को ए डवायजरी कर दिया जाये । जिस स्थिति में 1915 या 1916 में एक्ट बना, वह 1958 में मौजूद नहीं था, 1969–70 में मौजूद नहीं था, इसलिए जैसी स्थिति थी उसके अनुसार विभिन्न कमेटीज ने अपनी अनुशंसा की । जहां तक कोर्ट की बैठकों का सवाल है पिछले 10 वर्ष से कोर्ट की बैठक नहीं हुई है । जो भी है, वह मैं साफ तौर पर रख रहा हूं ।

**श्री मीर्जा इर्शाद बेग :** अलीगढ़ का भी यही हाल है ।

**श्री एल० पी० साही :** पिछले दस वर्षों में यूनिवर्सिटी की हालत गिरती चली जा रही थी । वहां इनडिसीप्लीन हो गया था । परीक्षाएं समय पर नहीं होती थीं और स्टूडेंटस यूनियन, गेस्ट हाउस व टेलिफोन्स पर इतना खर्च हो रहा था कि जिसका ठिकाना नहीं । उसमें धीरे-धीरे सुधार लाया गया है । व परीक्षाएं पहले की अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंग से हो रही हैं, यूनियन की एक्टिविटीज भी कंट्रोल में आई हैं । इसके कोर्ट की मीटिंग जनवरी, 1989 में होने जा रही है ।

**डा० रत्नाकर पाण्डेय :** अब प्रतिवर्ष समय पर होगी ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI P. SHIV SHANKER): May I just make one submission that the meeting of the Court is governed by section 9, and I will read section 9 which is in three parts, (a), (b) and (c):

"(a) to advise the Visitor in respect of any matter which may be referred to it for advice.

(b) to advise any authority of the University in respect of any matter which may be referred to the Court by such authority;

(c) to perform such other duties and exercise such other powers as may be assigned to it by the Visitor or under this Act."

We specifically went into this question why it is that for the last ten years no meeting of the Court was held, and we were told that no questions were referred to the Court either by the Visitor or the authority of the University in terms of section 9. I thought that I should explain this.

**डा० रत्नाकर पाण्डेय :** माननीय सभापति जी, मैं एक सप्लीमेंटरी और करना चाहूंगा ।

**श्री सभापति :** आपकी सप्लीमेंटरी हो चुकी है । जो मुख्य प्रश्नकर्ता थीं उन्होंने दो पूछ लिए हैं । आप दो के अधिकारी नहीं हैं इसलिए आप बैठ जाइए ।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पिछले 10—11 वर्षों से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कोई बैठक नहीं हुई और बार-बार इस सदन में आश्वासन दिया गया है कि चूंकि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम 1915 में बना था और उसके बाद गजेन्द्र गडकर कमेटी में रिकमैंडेशंज किया कि उसमें संशोधन किया जाए और इस संदर्भ में भी कम से कम तीन बार आश्वासन दिया जा चुका है, एक बार 5 नवम्बर, 1986 को, दूसरी बार 26 नवम्बर, 1986 को और इस में कहा गया है कि "It is proposed to review and amend the Banaras Hindu University Act in a comprehensive manner."

तो मेरा प्रश्न यह है कि बार-बार इस सदन में आश्वासन दिया गया है और सरकार को कार्य प्रणाली में जो गलतियां हैं उसमें जो नियम हैं उनमें जो खामियां हैं, तो मेरा प्रश्न यह है कि जो बार-बार सदन में आश्वासन दिया गया है इसके संबंध में व्यापक संशोधन कब तक किया जाएगा ।

**श्री सभापति :** आप क्या इस पर संशोधन करने का विचार कर रहे हैं और करेंगे तो कब तक करेंगे ?

**श्री एल०पी०साही :** महोदय, यू० जी० सी० ने एक माथुर कमेटी बनाई थी इसके लिए और माथुर कमेटी की अनुशंसा हुई थी इसके लिए कि इसको हटा लिया जाए लेकिन यू० जी० सी० ने उससे अपनी सहमति अभी तक नहीं व्यक्त की है । हमारे सामने यह सवाल है कि सिर्फ हिन्दू यूनिवर्सिटी का एक्ट नया हो या सभी सैन्ट्रल यूनिवर्सिटीज को मिलाकर एक ऐसा एक्ट लाया जाए जो सब जगह एकरूपता लाए ।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** संशोधन करने का विचार है या नहीं ?

**श्री एल० पी० साही** : विचार है।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Mr. Chairman, Sir, this ailment referred to with regard to the Banaras Hindu University is not confined to that university alone. It is the order of the day in almost all universities wherever there is a strong sort of Vice-Chancellor. The hon. Minister has mentioned about the statute in which he had mentioned only on a particular reference by the Visitor the court can be summoned. But in all other Constitutions it is incumbent that the court is the authority in which decisions are taken with regard to the working of the university. All the universities only live on UGC grants. May I know from the hon. Minister whether, for the purpose of democratisation of the universities he will link the release of UGC grants yearly to strict adherence of the Constitution and holding of the elections in the court?

SHRI L. P. SHAHI: Sir, so far as University Grants Commission is concerned, they release grants on certain conditions and they review the working of the universities. So it is within their jurisdiction to give grants. I have every hope that they are doing so. But if there is anything otherwise which may have come to the notice of the hon. Member, he may kindly give us in writing.

**श्री शरद यादव** : अध्यक्ष महोदय, सारे देश के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें सरकार अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, उनका सारा लोकतंत्रीकरण जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की जो कोर्ट है उसकी 10 साल से मीटिंग नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार के ऊपर चार्ज लगाना चाहता हूं...

**श्री सभापति** : सवाल कीजिए, चार्ज नहीं।

**श्री शरद यादव** : सवाल भी करना चाहता हूं और चार्ज भी लगाना चाहता हूं। विश्वविद्यालय में जो लोकतंत्रीकरण था उसके खिलाफ बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने काम किया और सारे विश्वविद्यालयों में यानि सरकारी नौकरों को और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को वहां बैठने का काम किया, नतीजा यह है कि बनारस विश्वविद्यालय जो देश के विद्यार्थियों का और देश की जनता का एक आदर्श स्थान था, वहां विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के चुनाव भी पिछले चार साल से नहीं हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोर्ट की मीटिंग तो हुई नहीं, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के नौजवानों पर चुनाव कराने के लिए सैकड़ों मुकदमें चलाए गए, तो आप यह विश्वविद्यालय के जो चुनाव हैं क्योंकि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, आप विश्वविद्यालय की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे या नहीं करेंगे? कोर्ट बैठक भी करेंगे और विश्वविद्यालय के चुनाव को कराने का काम करेंगे या नहीं करेंगे।

**श्री एल. पी. साही** : महोदय जहां तक विद्यार्थियों के चुनाव का सवाल है उसके लिए तो अलग से नोटिस चाहिए। लेकिन आनरेबल मैम्बर ने जो एक बात का जिक्र किया कि सरकारी अधिकारी... (**व्यवधान**)

**श्री शरद यादव** : चुनाव नहीं किए जा रहे हैं?

**श्री एल. पी. साही** : अभी मैंने अपना उत्तर खत्म नहीं किया है। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि सरकारी अधिकारियों से विश्वविद्यालय भरे जा रहे हैं तो अभी के वाइस चांसलर डा. रस्तोगी हैं जो कि एक जाने-माने साईन्टिस्ट हैं, इसके पहले के वाइस चांसलर डा. इकबाल नारायण थे। वह भी एक जाने-माने सोशलसाईंटिस्ट हैं। उसके पहले के वाइस चांसलर हरि नारायण जी थे। इसलिए सरकारी अधिकारियों से भरने का तो सवाल ही नहीं है। ये सब लोग तो अकेडमिक लाइफ से आए हैं।

**श्री सभापति** : वह चुनाव का पूछा है।

**श्री एल. पी. साही :** इसके लिए तो मैंने कहा कि नोटिस चाहिए ।

**श्री शरद यादव :** जो मुकदमें चल रहे हैं उन्हें वापस करेंगे या नहीं ?

**श्री सभापति :** उसका मुकदमें से तो कोई ताल्लुक नहीं है ।

SHRI P. SHIV SHANKER: Sir, may I just submit? The working of the university is governed by its law, the statutes and the bye-laws. The Government of India does not come into the picture for the purpose of elections of students union. It is a matter which has to be sorted out at the university level. We don't come into the picture and universities are very sensitive for their autonomy. Therefore, we cannot interfere in this matter.

**श्री शरद यादव :** सभापति जी, चुनाव कराने का अधिकार जो है . . . **(व्यवधान)**

**श्री पी. शिवशंकर :** हम चुनाव नहीं करा सकते । यूनिवर्सिटी का कानून है ।

**श्री मीर्जा इर्शादबेग :** सभी यूनिवर्सिटीज की वर्किंग की चर्चा होनी चाहिए ।

**श्री वीर भद्र प्रताप सिंह :** सभापति महोदय, मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ कि गजेन्द्र गडकर कमेटी की रिपोर्ट ने यह लिख दिया कि कोर्ट को ही एबालिश कर दीजिए । यदि ऐसा नहीं लिखा है तो जो माननीय मंत्री जी ने स्टेटयूट पढ़ा पार्ट "सी" में कि कोर्ट की मीटिंग बुलाई जाए तो स्टेटयूटरी डिसएबिलिटी तो है नहीं, हमने बार-बार लिखा है कि आप बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से ठेकेदारी प्रथा खत्म करके सी. पी. डब्ल्यू. डी. से कराइये जिन कारणों से मंत्री जी ने कहा कि इस वजह से कोर्ट नहीं बुलाई गई वह कारण तो आपके बनाए हुए है । आज ठेकेदारी प्रथा बी० एच० यू० से खत्म कर दीजिए कल वहां शांति हो जायेगी । तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या स्टेटयूट के इस पार्ट "सी" में उन्हीं कारणों से जो आपने बताए हैं आप कोर्ट की मीटिंग बुला करके उन समस्याओं का समाधान करेंगे ?

SHRI P. SHIV SHANKER: Sir, part (c) is a matter where other duties have to be exercised and those duties have to be assigned by the Visitor again. Part (a) is a matter where the Visitor refers to it. Part (b) is a matter where the Visitor entrusts certain duties to them.

MR. CHAIRMAN: It revolves round the Visitor.

SHRI P. SHIV SHANKER: Yes, Sir. Supposing the Visitor does not entrust certain duties, what can be done about it?

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: It is also approved by the Government of India.

SHRI P. SHIV SHANKER: It is a matter of autonomy of the university.

**श्री चतुरानन मिश्र :** सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने सेक्शन 9 का हवाला देते हुए कहा कि कोई इफ्ड रैफर नहीं किया गया था पिछले दस साल में इसीलिए कोर्ट की बैठक नहीं बुलाई गई । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रश्न जब यहां किया गया क्या इसीलिए बैठक बुलाई गई है ? नहीं तो यह बताए कि यह कब बुलाई गई और यह प्रश्न कब किया गया ?

**श्री सभापति :** मालूम हो तो बताएं ।

**श्री एल. पी. साही :** महोदय, इसमें सवाल का अंश तो इतना ही है कि मीटिंग कब बुलाई गई ।

**श्री सभापति :** यह तो ठीक है कि लेकिन यह पूछ रहे हैं कि क्या यह मीटिंग इसके बाद बुलाई गई ?

**श्री एल. पी. साही :** क्वेश्चन से पहले बुलाई गई ।

**श्री सभापति :** तब तो बात खत्म हो गई ।

श्री चतुरानी मिश्र: अभी उस सेक्शन 9 का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ . . . (व्यवधान) यह तो पार्लियामेंट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि क्वेश्चन किया और उन्होंने किया ।

श्री सभापति : वह कह रहे हैं कि आपके सवाल करने के पहले बुलाई गयी ।

श्री चतुरानन मिश्र : कब क्वेश्चन टेबल किया गया और कब उन्होंने बुलाई यह बता दें ।

श्री सभापति : कैटेगोरिकली स्टेटमेंट है कि इस सवाल के पूछे जाने के पहले वह मीटिंग बुलाई गयी ।

श्री राम अवधेश सिंह : डेट बता दीजिए ।

श्री सभापति डेट आप देख लीजियेगा ।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, can you club question No. 2 and 3? (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: No clubbing.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I am not asking you to club me. I am asking you to club the question.

**Pre-flight examination of pilots for alcohol consumption**

*2. SHRI BHAGATRAM MANHAR:†
SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it is compulsory to conduct pre-flight alcohol medical examination on Indian Airlines pilots before taking off;

(b) if so, what is the number of cases detected during the last three years where the tests have shown the pilots to be under the influence of alcohol and the action taken against them; and

(c) whether Government are aware that in a number of such cases reports are signed by the doctors without proper medical check-ups; if so, what is the number of such cases noticed so far during the last three years and the action taken against the erring doctors?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) Yes, Sir. Pilots of Indian Airlines are subjected to pre-flight medical examination before operating flights from the originating stations and from outstations where they night-stop.

(b) During the last three years, only one case was detected and the pilot involved was placed under suspension.

(c) No, Sir. No such case has come to notice.

SHRI BHAGATRAM MANHAR: Sir, according to the practice prevalent throughout the world, pre-flight alcohol medical examination is carried out by the Airlines doctor on pilots to know whether the pilots have consumed alcohol. Sir, the Indian Airlines have a number of doctors on their panel who are paid for such pre-flight alcohol tests on pilots before they take off. This practice has been in vogue only on paper and no tests are carried out by doctors as far as my information is concerned. Sir, I would like to know from the Minister whether it is true that the pilot of the ill-fated Boeing at Ahmedabad was in the habit of getting blank test reports from the doctors, and if so, whether he obtained a blank test report on the date of accident. If not, what were the contents of the report issued on that date?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Bhagatram Manhar.